28/6/2024	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी अनु0 अप्रार्थी की तामील जरिये ओरिज की [illegible] अन्य राजकार्य में व्यस्त होने से पत्रावली दिनांक 18/7/2024 को पेश हो।	
18/7/2024	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी अनु0 अप्रार्थी वास्ते प्रस्तुत जवाब अनुपस्थित। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 25/7/2024 को पेश हो।	
25/7/2024	पत्रावली पेश हुई। **अप्रार्थी उपस्थित।** अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किये गये परिवाद में उन पर लगाये गये आरोपों को जांच रिपोर्ट के अनुसार स्वीकार करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि भविष्य में अप्रार्थी इस तरह की कोई गलती नहीं करेंगे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात एवं रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी द्वारा आमजन में **अवमानक (sub standard) शुद्व घी (My Dairy) मूल गत्ता पैक का विकय करना पाया गया।** अप्रार्थी ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2)(II) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। उपरोक्त प्रावधान का मध्येनजर रखते हुए अप्रार्थी को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है, चूंकि अप्रार्थी द्वारा उन पर लगाये गये आरोपों को स्वीकार करने एवं उन पर लगाये गये	

257/2024

आरोपों की भविष्य में पुनरावृति नहीं किये जाने हेतु आश्वस्त किया गया है। **अतः श्री महेन्द्र खण्डेलवाल पुत्र श्री राम नारायण वेद उम्र 38 वर्ष जाती महाजन नि. खानपुर रोड, सहकारी भवन के पास, बपावर कला जिला कोटा (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स–सावन ट्रेडिंग कम्पनी, सहकारी भवन के पास, खानपुर रोड, बपावर कला जिला कोटा,** पर **10000/– रूपये (अक्षरे दस हजार रूपये)** शास्ती आरोपित की जाती है। अप्रार्थी प्रतिपक्षीगण आरोपित शास्ती राशि जमा राज कराकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय की प्रति आवेदक जर्ये **गोविंद सहाय गुर्जर** खाद्य सुरक्षा अधिकारी को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दायर रजिस्टर के नम्बर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

अति0 जिला कलेक्टर
कोटा

अति. जिला कलक्टर
कोटा